(TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA)

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF REVENUE

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 19 January, 2000

NOTIFICATION

S. No. It is notified for general information that undertaking, listed at para (3) below have been approved by the Central Government for the purpose of section 10(23G) of the Income-tax Act, 1961, read with rule 2E of the Income-tax Rules, 1962, for the assessment years 2000-2001, 2001-2002 and 2002-2003.

2. The approval is subject to the condition that –

(i) the undertaking will conform to and comply with the provisions of section 10(23G) of the Income-tax Act, 1961, read with rule 2E of the Income-tax Rules, 1962;

(ii) the undertaking will confirm to and comply with the terms and conditions and other matters connected or incidental thereto mentioned in the annexure to notification no 11174 dated 20th December,1999 issued by Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, government of India.

(iii) the Central Government shall withdraw this approval if the enterprise/industrial undertaking:-

(a) ceases to carry on infrastructure facility; or

(b) fails to maintain books of account and get such accounts audited by an accountant as required by sub-rule (7) of rule 2E of the Income-tax Rules, 1962; or

(c) fails to furnish the audit report as required by sub-rule (7) of rule 2E of the Income-tax Rules, 1962.

3. The undertakings approved is : Development, Maintenance and Operation of Software Technology Park at Chennai for information technology/software technology, being an industrial park, by M/s Tidel Park Limited, 19A, Rukmini Lakshmipathy Salai, Egmore, Chennai-600008.

(KAMLESH C. VARSHNEY)
Under Secretary to the Govt. of India

Notification No. 11207 (F. No. 205/101/99 – ITA-II)

To

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri, New Delhi.

Copy to:

1. The applicants.
2. All CCsIT and DGsIT
3. C & AG of India
4. Joint Secretary and Legal Advisor, Ministry of Law, New Delhi.
5. Addl. Secretary (Admn.), Deptt. of Revenue, New Delhi.
6. DIT (RSP&PR) (Bulletin Section), New Delhi.
7. Ministry of Industry, New Delhi

(KAMLESH C. VARSHNEY)
Under Secretary to the Govt. of India.

[भारत के राजपत्र के भाग-2 खंड 3[(i)] में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2000

अधिसूचना

क्र0सं0 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2 ड. के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23 छ) के प्रयोजनार्थ कर-निर्धारण वर्ष 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 के लिए नीचे पैरा 3 में उल्लिखित उपक्रम को अनुमोदित करती है ।

2. यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि -

(i) उपक्रम आयकर नियमावली 1962 के नियम 2 ड. के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23 छ) के उपबंधों के अनुरूप होगा और उनका अनुपालन करेगा ;

(ii) उपक्रम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई 20 दिसंबर, 1999 की अधिसूचना सं0 11174 के अनुलग्नक में उल्लिखित शर्तों तथा उससे संबंधित और प्रासंगिक अन्य मामलों की अभिपुष्टि करेगा और उनका पालन करेगा ।

(iii) केन्द्र सरकार यह अनुमोदन वापिस ले लेगी यदि उद्यम/औद्योगिक उपक्रम :-

(क) अवसंरचनात्मक सुविधा को जारी रखना बंद कर देता है, अथवा

(ख) खाता बहियों का रख-रखाव नहीं करता है तथा आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2 ड. के उपनियम (7) द्वारा यथा अपेक्षित किसी लेखाकार द्वारा ऐसे खातों की लेखा परीक्षा नहीं कराता है ;

(ग) आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2 ड. के उपनियम (7) द्वारा यथा अपेक्षित लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है ।

3. अनुमोदित उपक्रम है :-

चेन्नई-600008 द्वारा एक औद्योगिक पार्क होने के नाते सूचना प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के लिए चेन्नई स्थित साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का विकास, अनुरक्षण और प्रचालन ।

| कमलेश सी० वार्ष्णेय |
अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना सं० : 11207 | फा० सं० 205/101/99-आई. टी. ए. II |

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
गाजियाबाद, नई दिल्ली ।